



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 882]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2016/चैत्र 22, 1938

No. 882]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2016/CHAITRA 22, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2016

का.आ. 1384(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का 17) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12 अप्रैल, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती हैं जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. एन डब्ल्यू-12013/4/2014-आई.डब्ल्यू.टी.(भाग.VI)]

रजत सच्चर, सलाहकार

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2016

S.O. 1384(E).— In exercise of the powers conferred by sub – section (2) of section 1 of the National Waterways Act, 2016 (17 of 2016), the Central Government hereby appoints the 12th day of April, 2016 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. NW-12013/4/2014-IWT(Vol.VI)]

RAJAT SACHAR, Adviser